कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय केकड़ी, अजमेर

मूल्य– 500/– रु.

निविदा संख्या – 2022–23/18
02-05-2022

निविदा प्रपत्र

विज्ञप्ति क्रमांक – 01/2022–23

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय केकड़ी, अजमेर में एक वर्ष (निविदाएं खोलने की तिथी से एक वर्ष की समाप्ति तक) के लिए निम्नांकित ठेका कार्यो हेतु निम्न विवरणानुसार इच्छुक पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में टेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु ऑफ लाईन निविदाए आमन्त्रित की जाती है

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक श्रमिक की संख्या	अनुमानित लागत	निविदा शूल्क	अमानत राशि	निविदा मय दस्तावेज कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि/समय	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि/समय	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि/समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सुरक्षा गार्ड (कुशल)	04 (पूरे माह) 12माह	928800 रूपये	500 रूपये	18578 रूपये	12.05.2022 सुबह 11 बजे तक	12.05.2022 दोपहर 12 बजे	13.05.2022 दोपहर 12 बजे
2	बागवान (कुशल)	01 (पूरे माह) 12माह						
3	इलैक्ट्रीशियन(कुशल)	01 (पूरे माह) 12माह						
4	सफाईकर्मी (अकुशल)	02 (पूरे माह) 10माह 01 (पूरे माह) 12माह						
5.	सहायक कर्मी (पियॉन)(अकुशल)	01 (पूरे माह) 12माह						

नोटः– सर्विस चार्ज की राशि स्रोत पर आयकर कटोति की प्रचलित दर 02 प्रतिशत से कम स्वीकार्य नही होगी। (सर्विस चार्ज की राशि पूर्ण प्रतिशत में भरना अनिवार्य होगा। दशमलव अंको में भरी हुई राशि स्वीकार नही होगी।)

1. ऑफलाईन निविदा प्रपत्र दिनांक 02.05.2022 से 12.05.2022 को सुबह 11 बजे तक विद्यालय समय में विद्यालय कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय केकड़ी, अजमेर कार्यालय में भौतिक रूप से डी. डी एवं अन्य दस्तावेज जमा कराने की अन्तिम तिथि दिनांक 12.05.2022 को सुबह 11 बजे तक
3. निविदा खोलने की तिथि – दिनांक 12.05.2022 को सुबह 12 बजे पर
4. समस्त राशियों के डी.डी. (प्रधानाचार्य, राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय केकड़ी, अजमेर) की हार्डकॉपी लिफाफे में रखकर प्रत्येक लिफाफे पर निविदा तथा फर्म नाम एवं निविदादाता के मोबाईल नम्बर अंकित करना होगा।
5. निविदा प्रपत्र राशि का डी.डी. एवं अमानत राशि का डी.डी. तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा तथा निविदा के तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग अलग लिफाफो में प्रस्तुत करनी होगी तथा लिफाफे पर तकनीकी या वित्तीय बीड स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। भौतिक रूप से विद्यालय कार्यालय में दिनांक 12.05.2022 को सुबह 11 बजे तक जमा करानी होगी
6. निविदा सम्बन्धित जानकारी www.SPPP.raj.nic.in , sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम व पता

प्रधानाचार्य
राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय
विद्यालय केकड़ी,अजमेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय केकड़ी, अजमेर

7गांव 21/5/2022

जारीकर्ता अधिकारी के लघु हस्ताक्षर एवं तिथि मैसर्स .... को जारी किया गया।

निविदा प्रपत्र (तकनीकी निविदा)

विषय :– राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय केकड़ी,अजमेर में सुरक्षा कार्य, बागवानी कार्य, इलै. कार्य, साफ–सफाई कार्य, सहायक कर्म. (पियॉन) कार्य हेतु संविदा पर जॉब बेसिस के आधार पर करवाने बाबत।

1. निविदादाता फर्म का नाम व पता :– ....
2. प्रोपराईटर का नाम .... मोबाईल नं. ....
3. प्रोपराईटर का स्थायी पता ....
4. निविदा शुल्क राशि 500/–रू जमा कराने का विवरण डी.डी. संख्या .... दिनांक ....
5. अमानत राशि रूपये .... जमा कराने का विवरण डी.डी. संख्या .... दिनांक ....
6. रजिस्ट्रेशन इत्यादि का विवरण :–

क0सं0	विवरण	रजि. संख्या	वर्ष	पंजीकरण दिनांक
01	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970			
02	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952			
03	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948			
04	वस्तु एवं सेवा कर (GST)			
05	आय कर (पैन नम्बर)			
06	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत			
07	पसार एक्ट प्रमाण पत्र			

उक्त रजिस्ट्रेशन के संबंध में स्वयं द्वारा सत्यापित दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। उक्त दस्तावेजो के अभाव में निविदा स्वीकार्य योग्य नहीं होगी।

7. तकनीकी सक्षमता :–

(a) वित्तीय टर्न ओवर :– प्रति वर्ष के टर्नओवर (Turn Over) का विवरण (गत तीन वर्षो का) वित्तीय टर्न ओवर के संबंध में सी.ए. द्वारा सत्यापित यू.डी.आई.एन. सहित दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न करने होंगे।

क0 संख्या	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रूपये लाखों में)
01	2019–20	
02	2020–21	
03	2021–22	

(b) कार्य अनुभव का विवरण :–

क0संख्या	संस्थान का नाम	संविदा कार्यादेश की संख्या	कार्य की लागत
01			
02			
03			

(c)यदि गत तीन वर्षो में समकक्ष प्रकार के कार्य किये गए है तो, गत तीन वर्षो में 2019–20, 2020–21, 2021–22 में समकक्ष प्रकार के कार्यादेश की प्रति संलग्न करें एवं साथ ही उन कार्यादेशों का संतोषप्रद पूर्णता का संबंधित विभाग/संस्था का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।

(c) यदि वित्तीय निविदा में एक से अधिक संवेदक की दर समान पाई जाती है तो अधिक वित्तीय टर्न ओवर वाले संवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी एवं क्रय समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।

मैनें/हमने प्रधानाचार्य राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय केकड़ी, अजमेर के द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... में वर्णित एवं निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तो को स्वीकार करने के साक्ष्य के रूप में मैनें/हमने हस्ताक्षर किये हैं जिन्हें मैं/हम मानने के लिए बाध्य हूँ/है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

<u>निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा</u>

यदि मेरे/हमारे द्वारा दिये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो आवासीय विद्यालय प्रशासन को बिना किसी पत्र/नोटिस के मेरी/हमारी अमानत राशि जब्त करने एवं उक्त निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकारी प्रधानाचार्य राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय केकड़ी, अजमेर को प्रदत्त करता हूँ/करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम ....
पत्र व्यवहार का पता ....
मोबाईल नं. ....

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय केकड़ी, अजमेर

(अ) निविदा शर्ते

टिप्पणी :– निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदायें भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

(राज. देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय केकड़ी, अजमेर मे सुरक्षा कार्य, बागवानी कार्य, इलै. कार्य, साफ–सफाई कार्य, सहायक कर्म कार्य जॉब बेसिस पर कराने हेतु)

1. निविदाएं खोलने की तिथी से एक वर्ष की समाप्ति तक अथवा आगामी आदेश की समाप्ति तक की अवधि के लिये विधि मान्य होगी। इस अवधि में आपसी सहमती से आगामी समय एवं सत्र के लिए वृद्धि की जा सकेगी।
2. निविदाओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।
3. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनो एवं शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
4. दरें शब्दों एवं अंको दोनो में लिखी जायेगी इसमें कोई त्रुटियां एवं/उपरिलेखन नही होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
5. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।
6. निविदादाता की कोई शर्त मान्य नही होगी। सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। सशर्त पेश की गई निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा। डाक से भेजी निविदाऐ स्वीकार नहीं होगी
7. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के आदेश प्राप्ति की तिथि से 07 दिवस की अवधि में निविदा राशि के 02 प्रतिशत के बराबर कार्य संपादन राशि, चैक अथवा प्रधानाचार्य, राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय केकड़ी, अजमेर के नाम जारी डी.डी. के रूप में जमा करानी होगी तथा निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध पत्र/इकरार नामा (निविदादाता द्वारा क्रय किये गये 500/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल पेपर पर) निष्पादित करना होगा। निविदा की शर्तो का उल्लंघन करने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी। संतोषप्रद रूप से अनुबंध समाप्त होने के एक माह की अवधि में प्रतिभूति राशि लौटा दी जाएगी, किन्तु इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
8. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने की दशा में कार्य आदेश में उल्लेखित तिथि से ठेके पर उपरोक्त सेवाएं उपलब्ध कराना होगा।
9. निविदा में बोली प्रतिभूति का घोषणा पत्र (Declaration) 50 रू के स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में। बोलीदाता को वित्त विभाग के परिपक्ष क्रमांक एफ2(1)वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के अनुसार बिड सिक्यूरिटी के संबध में घोषणा पत्र (Declaration) प्रस्तुत करना होगा। जिसका मानक प्रारूप बिड के साथ संलग्न है। बिड सिक्यूरिटी के संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा पत्र राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 3 सपठित अनुसूची के अनुच्छेद 4 के अनुसार घोषणा पत्र पर 50 रू की स्टाम्प डयूटी देय है। तथा इस स्टाम्प डयूटी पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरंचार्ज देय है। अतः विड सिक्योरिटी के संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा पत्र पर उक्तानुसार राजस्थान राज्य में स्टाम्प डयूटी एवं सरचार्ज का भुगतान सुनिश्चित करे।
10. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रदद कर दिया जायेगा। किसी भी सूरत इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नही समझा जायेगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये निविदा स्वीकृती के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
11. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है,तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा, जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ (सोल अर्विट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप–अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप–अधिकारी संविदा से संबद्ध नही होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।
12. समस्त विधिक कार्यवाहियों, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा अजमेर में स्थित न्यायालयो में ही की जाएगीं, अन्यत्र नहीं की जाएगी।
13. तकनीकी निविदा की सम्पूर्ण शर्ते पूरी करने पर ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा। तकनीकी निविदा की शर्ते पूरी नही होने की स्थिति में वित्तीय निविदा बिना खोले ही निरस्त कर दी जायेगी।
14. श्रम विभाग की न्यूनतम मजदूरी एंव नियमानुसार समस्त भत्तों की जिम्मेदारी निविदादाता स्वयं की होगी।

नोट :– निविदा फॉर्म में टंकण त्रुटि होने की दशा में जी.एफ.एण्ड ए. आर. में वर्णित शर्ते ही अन्तिम रूप में मान्य होगी।

प्रधानाचार्य 2/5/2022
राज. देवनारायण बालिका आवासीय
विद्यालय केकड़ी,अजमेर

मैनें/हमारे द्वारा सरकार द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्ते तथा निविदा की शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है, तथा सभी शर्तो को समझकर इन्हें स्वीकार करते है, तथा सभी शर्तो का समझकर इन्हें स्वीकार करतें है तथा सभी शर्तो को समझकर इन्हे स्वीकार करते है तथा सभी शर्तो को पढकर एवं समझकर इन्हे स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप मैनें/हमने हस्ताक्षर कर दिये है।

दिनांक :–

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

फर्म का नाम ....

मो.नं. ....

Amit
21/5/2022

(ब) कार्य सम्बन्धी शर्ते

जॉब बेसिस श्रमिको के लिए कार्य की प्रकृति के अनुसार विशिष्ट शर्ते :–

❖ **चौकीदार के लिए :–**

- प्रतिदिन मुख्य द्वार पर आगमन–निगमन रजिस्टर में प्रत्येक व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है उसके आने व जाने का समय इन्द्राज करना अनिवार्य होगा। न्युनतम आठ घण्टे कार्य करना होगा अन्यथा भुगतान में कटौती की जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता स्वंय की होगी।
- चौकीदारो की ड्यूटी राउण्ड मे लगायी जायेगी।
- किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी।
- श्रम विभाग के नियमों के अनुसार एक श्रमिक की महीने की मजदुरी की गणना 26 दिन मानकर की जाती है और चौकीदार की आवश्यकता पुरे महीने रहेगी। इस आधार पर चौकीदारो की मजदुरी की गणना महीने मे जितने दिन (30,31,28) मानकर की जायेगी। चौकीदार कार्मिक के अवकाश के दिन् सफल निविदादाता को रीलीवर लगाना पडेगा।
  चौकीदारी कार्य तीन 8–8 घटों की शिफ्टों में सम्पादित कराया जायेगा।
  सुरक्षागार्ड द्वारा परिसर के आन्तरिक व बाहरी क्षेत्र की पूर्ण निगरानी करनी होगी। तथा किसी भी अप्रिय/अवांछित घटना पर तुरन्त प्रधानाचार्य को अवगत कराना होगा।

❖ **बागवान के लिए :–**

➢ विधालय परिसर में लगे पेड पौधो में निरन्तर पानी देना, कटाई, छंटाई करना, परिसर में पडी खाली जगह में नये पेड पौधे लगाना, खेल के मैदान एंव अन्य खाली जगहो पर उगने वाली घास, कंटीली झाडियों आदि को साफ कर परिसर को साफ–सुथरा रखना, खाली जगहों में उगे हुए अव्यवस्थित कांटेदार व टुटे हुए पेडों को हटाकर उनकी जगह व्यवस्थित रूप से नये पेड पौधे लगाना, परिसर को समतल बनाना एंव बरामदों में गमलों में पेड पौधे लगाना एंव उनकी देखभाल करना आदि। बागवानी के कार्य मय उपकरण करने होंगे। साथ ही डयुटी समय में आवश्यकतानुसार अन्य लेबर कार्य भी कराया जा सकता है जिसका अलग से कोई भुगतान देय नही होगा।

➢ विधालय प्रशासन के द्वारा आवश्यक सामग्री जैसे पाईप, टुंटिया, वासर आदि उपलब्ध करवाये जायेंगे किन्तु अन्य उपकरण एंव सुरक्षा संबंधी उपकरणों की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी। विधालय परिसर में पानी सप्लाई का कार्य निरन्तर एंव सुचारू रूप से करना होगा। पम्पिंग उपकरणों का समुचित देखभाल रखरखाव के साथ पानी की सप्लाई की खराबी की समय पर सूचित करना होगा।

➢ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी।

❖ **इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए :–**

➢ विधालय परिसर समस्त इलेक्ट्रीकल तकनीकी खराबी को सुव्यवस्थित करना।

➢ विधालय परिसर समस्त कार्य जैसे नल, पंखा वाटर कूलर आदि को ठीक करना।

❖ **सफाई कर्मी के लिए :–**

➢ जॉब बेसिस पर नियुक्त किसी भी कर्मचारी के अवकाश में रहने पर पूर्ण सुचना देनी होगी तथा उसे अवकाश के दिन का कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

➢ निविदादाता को सफाई कार्य के लिये सफाई से संबंधित सामग्री छात्रावास अधीक्षक/भण्डारपाल, विधालय से उपलब्ध करवा दी जायेगी। पतझड/वर्षा/आंधी तुफान के समय विधालय में विशेष सफाई अभियान चलाना होगा एंव कचरा विधालय तथा छात्राावास परिसर से बाहर डालना/ निस्तारण करना होगा तथा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार समय–समय पर अभियान चलाना होगा।

➢ विधालय के सम्पुर्ण परिसर यथा :– छात्रावास, विधालय, मैस, की साफ–सफाई, धुलाई, पोंछा बाथरूम एंव शोचालयों की सफाई, बरामदों, गैलेरियों, खिडकी, दरवाजों एंव परिसर की उपरी छत विधालय के बाहर के मैदानों (चार दीवारी के अन्दर) एंव नये निर्मित होने वाले भवनों की सफाई करनी होगी, मल–मूल आदि की धुलाई करके सफाई करनी होगी, छात्रावास के बाहर चारों ओर की गंदगी की सफाई रोजाना करनी होगी, डस्टबीन रोजाना खाली करनी होगी तथा सीवर लाईन के चेम्बर चौक हो जाने पर चौक लाईन को चालु (ठीक)करनी होगी। भोजनशाला एंव विधालय परिसर में प्रतिदिन फिनाईल से पौचा लगाना होगा व भोजन कक्ष में सुबह के नाश्ता, दोपहर के भोजन, शाम के नाश्ता व शाम के भोजन के बाद नियमित सफाई करनी होगी तथा छात्रावास परिसर में सुबह एंव शाम दोनो समय सफाई करनी होगी।

➢ न्युनतम आठ घण्टे कार्य करना होगा अन्यथा भुगतान में कटौती की जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता स्वंय की होगी।

➢ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी।

➢ आवासीय विधालय के छात्रावास में सफाई का कार्य करने के लिए महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी तथा सफाई सामग्री यथा–फिनाहेल,टायलेट क्लीनर,झाडु,पोंछा इन्यादि विद्यालय द्वारा दिया जायेगा।

- कामगारों को साप्तिाहिक अवकाश देने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। कामगार के साप्ताहिक अवकाश पर उसके स्थान पर अन्य कामगार की व्यवस्था/नियोजित कामगार से अतिरिक्त कार्य कराने पर अतिरिक्त कार्य का न्युनतम मजदूरी की दर से ही भूगतान किया जायेगा।
- न्युनतम आठ घण्टे कार्य करना होगा अन्यथा भुगतान में कटौती की जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता स्वंय की होगी।
- कामगारों के कार्य सम्पादन अवधि/समय (शिफ्ट) का निर्धारण विद्यालय प्रबन्धन निर्धारित करेगा जिसे आवश्यकतानुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है।
- अन्य कार्य/निर्देश जो प्रधानाचार्य राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय केकड़ी द्वारा दिये जायेंगे की पालना करनी होंगी।

नोट :– विद्यालय की आवश्यकता अनुसार संविदा कार्मिको में कमि या वृद्धि की जा सकती है, एवं बालिका आवासीय विद्यालय होने से विद्यालय की मांग अनुसार महिला कार्मिक उपलब्ध कराने होगे, विद्यालय मे संविदा श्रमिकों को कार्य के दौरान नियत पौशाक में तथा आई कार्ड के साथ उपस्थित रहना आवश्यक है।

हस्ताक्षर
निविदादाता/फर्म/एजेन्सी मय सील

टिप्पणी :– निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदायें भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. **करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :–**
   (अ) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।
   (स) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगें :–
   (क) बैंक ड्राफट/बैंकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति। डी.डी. की मूल प्रति कार्यालय में जमा करवानी होगी।
   (ब) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होगें।
   (3) प्रतिमूति निक्षेप का समपहृत :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :–
   (क) जब सविंदा के किन्ही निबंधनो और शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।
   (ग) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढ़ंग से करने में असफल रहा हो।
   (घ) प्रतिमूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में केता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
   (4) करार पत्र को पूर्ण करने एंव उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निशुल्क दी जायेगी।

प्रधानाचार्य
राज. देवनारायण बालिका आवासीय
विद्यालय केकड़ी, अजमेर

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

निविदादाता का नाम ....

निविदादाता का पूर्ण पता ....

नमांच्छ
25/5/2022

निविदा की सामान्य शर्ते –

1. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार विद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।
2. संवेदक व विद्यालय प्रशासन के बीच किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विद्यालय प्रशासन का निर्णय संवेदक को मान्य होगा।
3. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
4. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होगें। पंजीकरण प्रमाण–पत्र क सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
5. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा करायी गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्थान को आगामी माह के मामिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
6. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनंतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा। श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
7. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलो का भुगतान किया जायेगा।
8. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर डिस्पले बोर्ड (Display Board) लगाये जायेगे, जिन पर संवेदक का नाम संविदा अवधि कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नही करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
9. स्वीकृत ठेके अवधि की अंकेक्षण के दौरान यदि अंकेक्षण दल द्वारा संवेदक के विरूद्ध किसी तरह की बाकियात निकाली जाती है तो उसे जमा कराने हेतु संवेदक बाध्य होगा।
10. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जो कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
11. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एंव सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
12. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायित्व होगा।
13. यदि संवेदक का कार्य लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
14. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम,1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
15. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगा।
16. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है, तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

17. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेगी।

18. कोई भी संविदाकार्मिक चोरी/भ्रष्टाचार या अन्य संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया गया, तो ऐसे संविदाकार्मिक के खिलाफ प्रधानाचार्य पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र होगी। कम्पनी/फर्म को इस सम्बन्ध में जो भी निर्देश दिये जायेगें, मानने के लिए बाध्य होगी।

19. अनुबन्ध में पश्चातवर्ती अवधि में अनुबंध अवधि के संबंध में कोई दर/कटौती जमा/कर देयता/अन्य शुल्क देयता की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी जिम्मेदारी निविदादाता की रहेगी। विद्यालय प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

20. संविदा पर नियुक्त किसी भी कर्मचारी को न्यूनतम 26 दिन का भुगतान देय होगा। अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा यदि उक्त अवधि में कर्मचारी से राजकीय कार्य में सेवाए ली जाती है तो अधिकतम 5 दिन का भुगतान स्वीकृत दरों से किया जायेगा।

प्रधानाचार्य 2/5/22

राज. देवनारायण बालिका आवासीय

विद्यालय केकड़ी, अजमेर

मैनें/हमारे द्वारा सरकार द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्ते तथा निविदा की शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है, तथा सभी शर्तो को समझकर इन्हें स्वीकार करते है, तथा सभी शर्तो का समझकर इन्हें स्वीकार करतें है तथा सभी शर्तो को समझकर इन्हे स्वीकार करते है तथा सभी शर्तो को पढकर एवं समझकर इन्हे स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप मैनें/हमने हस्ताक्षर कर दिये है।

दिनांक :–

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

फर्म का नाम ....

....

मो.नं. ....

स्वीकृत.
21/5/2022

संलग्न दस्तावेजो की सूची

क0सं0	विवरण	रजि. संख्या	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्न कमांक
01	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
02	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
03	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
04	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
05	आय कर (पैन नम्बर)				
06	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
07	पसारा एक्ट 2005				
08	ब्लैक लिस्टेड नही होने का प्रमाण–पत्र				
09	चरित्र प्रमाण–पत्र				
10	गत तीन वर्षो का सी.ए. द्वारा सत्यापित टर्न ओवर प्रमाण–पत्र मय यूडीआईएन				
11	निविदा शुल्क एवं अमानता राशि. के डी.डी				
12	नवीनतम जी.एस.टी. क्लीयरेंस प्रमाण				
13	नवीनतम ई.पी.एफ, ई.एस.आई जमा का प्रमाण				
14	सक्षमकार्यो का अनुमव प्रमाण–पत्र				
15	बोली प्रतिभूति का घोषणा पत्र (Declaration)				

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर..

निविदादाता का नाम ....

निविदादाता का पूर्ण पता ....

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय केकड़ी, अजमेर

21/5/2022

जारीकर्ता अधिकारी के लघु हस्ताक्षर एवं तिथि
मैसर्स .... को जारी किया गया।

निविदा प्रपत्र (वित्तीय निविदा)

विषय :– राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय केकड़ी, अजमेर में सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मचारी इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर, बागवान, सहायक कर्मचारी (पियॉन) का कार्य से संविदा पर जॉब बेसिस के आधार पर करवाने बाबत।

1. निविदादाता फर्म का नाम व पता :– ....
....
2. निविदा संख्या .... दिनांक ....
3. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु जमा कराई गई राशि 500/–रू की डी.डी. संख्या .... दिनांक ....
4. धरोहर राशि जमा करवाने के संदर्भ डी.डी. संख्या .... दिनांक ....
5. मैं/हम तकनीकी निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... में अंकित समस्त शर्तो एवं तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तो से सहमत हूँ/हैं। सहमति के साक्ष्य स्वरूप तकनीकी निविदा शर्त के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे/हमारे हस्ताक्षर किये गये हैं।

क. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर रूपये में प्रति श्रमिक प्रति माह	सर्विस चार्ज (पूर्ण प्रतिशत एवं नजदीकी पूर्ण रूपये में)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रति श्रमिक प्रति माह दर रूपये में (4+5)
1	2	3	4	5	6
01	जॉब बेसिस पर संविदा कार्य	कुशल श्रमिक –06	8280 (30 दिन)	प्रतिशत.......................... रूपये..........................	
		अकुशल श्रमिक–04	7560 (30 दिन)	प्रतिशत.......................... रूपये..........................	

नोट :–

1. संवेदक द्वारा निविदा दरें प्रस्तुत बीओक्यू में दी जाएगी, जिसमें कॉलम संख्या 5 से 6 की पूर्तियां संवेदक द्वारा की जाएगी।
2. वित्तीय निविदा में निविदादाता द्वारा नियमानुसार दर सम्पूर्ण करों सहित (जी.एस.टी के अतिरिक्त) अंकित करना होगा। जी.एस.टी. का भुगतान विभाग द्वारा नियमानुसार प्रचलित दर से अलग से किया जायेगा।
3. संविदा कार्मिकों को किये भुगतान का प्रमाण–पत्र मय E.P.F, ESI एवं GST कटौती विपत्रों को प्रस्तुत करने पर ही नियमानुसार बिल पारित किया जायेगा।
4. ई.पी.एफ. दर व ई.एस.आई. दर नियमानुसार होगीं।
5. संविदा पर नियुक्त किसी भी कर्मचारी को न्यूनतम 26 दिन का भुगतान देय होगा। अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा यदि उक्त अवधि में कर्मचारी से राजकीय कार्य में सेवाए ली जाती है तो अधिकतम 5 दिन का भुगतान स्वीकृत दरों से किया जायेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

फर्म का नाम ....

मोबाईल नम्बर ....

Form of Bid-Securing Declaration

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To : .

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed;and
(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

(i) we are not the successful Bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) the cancellation of the procurement process; or
(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :------------------------------------

Name :--------------------------------------

In the capacity of :--------------------------

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on   day of
Corporate Seal ----------------------------------

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]